

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 957] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940 No. 957] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2019

का.आ. 1091(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 7 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिसूचित करती है जो, वित्तीय लेनदार की ओर से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष, निगमित ऋणी के विरूद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन कर सकेंगे:-

- (i) संरक्षक;
- (ii) वित्तीय लेनदार की संपदा के निष्पादक या प्रशासक;
- (iii) न्यासी (जिसके अंतर्गत डिबेंचर न्यासी भी है); और
- (iv) कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति।

[फा. सं. 30/25/2018-दिवाला अनुभाग] ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

1360 GI/2019 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2019

S.O. 1091(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby notifies following persons who may file an application for initiating corporate insolvency resolution process against a corporate debtor before the Adjudicating Authority, on behalf of the financial creditor: -

- (i) a guardian;
- (ii) an executor or administrator of an estate of a financial creditor;
- (iii) a trustee (including a debenture trustee); and
- (v) a person duly authorised by the Board of Directors of a Company.

[F. No. 30/25/2018-Insolvency Section]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.